

खाता अलग करने बाबत स्वयंसेवक हंगरी जाने
का आदेश जर्मनी, वहील, प्रवासी के इन्त
प्रार्थना पर 15/11/22 पर NO-objection
का अंश किया, न्यायहित में प्रार्थना पर
स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजाबारा
उक्त प्रकरण में जारी स्वयंसेवक आदेश दिनांक
16/02/2023 अर्थात् स. 19 आदरशिव पुत्र
वीरबलराम की हद तक अपास्त किया जाता
है। अर्थात् स. 19 अपने हितों तक की
आराजी चक्र 8 एस.वी.एन खाता. स. 24/13
में बाबत खाता विभाजन निर्णय व डिब्बा
पालना हेतु स्वतंत्र रहेगा, बीच स्वयंसेवक आदेश
संबंधित रहेगा, पत्रावली वाले तलबी दिनांक
12/11/25 को पेश हो

उपस्थित न्यायाधीश
पदेन सहायक कलेक्टर
दिल्ली

12/11/25 पत्रावली पेश हुई, वहील उभयपक्ष, वहील
वाडी को प्रतिवादी गण की तलबी आवश्यक रूप
से कुरवाने की हिदायत दी गई, पत्रावली वाले
तलबी अर्थात् गण दिनांक 22/11/26 को पेश हो

22/11/26
दिल्ली उभयपक्ष उपस्थित बार सभ
कार्यस्थान/कर्मचारी हड़ताल पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/11/26
को पेश हो

18/11/26 पत्रावली पेश हुई, वहील उभयपक्ष उपस्थित,
वाडी वहील द्वारा स्वयंसेवक प्रार्थना-पत्र के

सेबेज्म क्ल वाड विडो | खातिज डिपे जाने
 कुरण पार्वना पड ओ चित्तीन हेने कु कारण
 वतमान स्तर पट ही खातिज डिमा जाना
 पचावती दा खिल दफ्तार ही।

सत्यनारायण RAS